फा॰सं॰7(28)संस्था॰III/91
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1991

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1986 - दक्षता रोधों पर कार्रवाई की पद्धति ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1986 के नियम 8 के नीचे टिप्पणी । में यह व्यवस्था है कि जहां-जहां वेतन उपर्युक्त परन्तुकों के निबन्धनों के अनुसार नियत किया गया है, दक्षता-रोध, इस बात को विचार में लाए बिना कि किसी सरकारी सेवक ने विद्यमान वेतनमान में दक्षता रोध पार किया था या नहीं या उस पर रूका हुआ था, पुनरीक्षित वेतनमान में ऐसे रोधों के प्रति निर्देश से ही प्रवृत्त होगा । इस संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 27 मई, 1988 के कार्यालय ज्ञापन सं॰7(63)संस्था॰III/87 के प्रावधान भी संगत हैं । राष्ट्रीय परिषद (जे॰सी॰एम॰) में कर्मचारी पक्ष ने यह उल्लेख किया है कि उपर्युक्त उपबंधों को लागू करने से ऐसे सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत कठिनाई उत्पन्न हो गई है जिन्हें (i) संशोधन पूर्व वेतनमान में 1॰1॰86 से पूर्व दक्षता रोध आने पर रोक दिया गया था और (ii) जहां 1॰1॰86 को दक्षता रोध की स्थिति में उनकी वेतनवृद्धि देय थी ।

2॰ मामले की जांच की गई है और राष्ट्रपति ने यह निर्णय किया है कि ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों के मामलों, जिन्हें संशोधन पूर्व वेतनमानों में 1॰1॰1986 से पहले दक्षता रोध पर ही रोक लिया गया था, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 मार्च, 1989 के का॰ज्ञा॰सं॰ 29014/2/88-संस्थापना(क) में निहित मार्ग निर्देशों के अनुसार समीक्षा करने हेतु संबंधित विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखे जाएं । यदि विभागीय पदोन्नति समिति यह सिफारिश करती है कि सरकारी कर्मचारी दक्षता रोध पार करने हेतु उपयुक्त है तो नियमों की समुचित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक वेतन वृद्धि(यां) दी जाएं अर्थात रोकी गई वेतन वृद्धि(यों) का

...2/-

लाभ उस तारीख से मंजूर किया जाए जिस तारीख से सरकारी कर्मचारी दक्षता रोध सीमा पार किए जाने हेतु उपयुक्त पाया गया हो ।

3. राष्ट्रपति ने यह भी निर्णय किया है कि ऐसे मामलों में जहां वेतन वृद्धि 1.1.86 से दक्षता रोध के स्तर पर देय थी तो उस अवस्था में वेतन वृद्धि संशोधन पूर्व वेतनमान में बिना किसी तरह की समीक्षा किए मंजूर की जाए और फिर केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन), नियम, 1986 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन नियत किया जाए ।

4. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्य करने वाले व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए गए हैं ।

(बी० कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
(मानक डाक सूची के अनुसार अतिरिक्त प्रतियों की सामान्य संख्या सहित)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित :-

(i) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (जे.सी.ए.अनुभाग) - 10 प्रतियां ।
(ii) सचिव (कर्मचारी पक्ष), राष्ट्रीय परिषद्, जे.सी.एम.,
13-सी, फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली ।
(iii) जे.सी.एम. की राष्ट्रीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष के सदस्य ।